कण्डिका क्रमांक – 18

अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यो का विवरण

बस्तर वनमंडल अंतर्गत जगदलपुर से भानपुरी तक मुख्य सड़क के समान्तर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संरक्षित वनभूमि कक्ष क्र. 1428, 1086 एवं 1071 रकबा 0.296 हेक्टर आरक्षित वनभूमि कक्ष क्र 1718, 1333, 1334, एवं 1335 रकबा 0.153 हें. एवं राजस्व वनभूमि खसरा कमांक 283, 23, 21, 7, 34, 1, 454/1, 696, 698, 235/1, 417, 132, 1, 85, 513, 514, 503, 432, 429, 413, 228, 443, 445 रकबा 0.250 हें. कुल रकबा 0.699 हें. वनभूमि/राजस्व वनभूमि लंबाई 39.48 किमी. चौड़ाई 0.50 मीटर एवं गहराई 1.65 मीटर पर 4 जी टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने हेतु भूमिगत केबल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में आवेदक द्वारा बस्तर परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 30.03.2017 को रात्रि में अवैध रूप से लंबाई 380.00 मी. ,चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.50 मी. रकबा 0.030 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। इस संबंध में परिक्षेत्र अधिकारी बस्तर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/20 दिनांक 30.03.2017 पंजीबद्ध किया गया है। उनके द्वारा पुनः कक्ष कमांक 1428 पी में दिनांक 08.04.2017 को अवैध रूप लंबाई 230.00 मी. चौ. 0.80 मी. एवं गहराई 1.40 मी. रकबा 0.018 हे. वनभूमि में केबल लाईन बिछाये जाने हेतु नाली खुदाई किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही करते हुए कार्य को रोका गया तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (1) ग के तहत् उनके खिलाफ पी.ओ.आर. क. 4326/21 दिनांक 08.04.2017 पंजीबद्ध किया गया है तथा पी.ओ.आर. क. 4326/20 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 31608/– एवं पी.ओ. आर. क. 4326/21 की मुआवजा महसूल की राशि रू. 40013/– मनी रसीद कमशः क. 14197/40 एवं क. 14197/41 दिनांक 22.06.2017 द्वारा कुल रू. 77621/– आवेदक राशि जमा कर राजीनामा किया गया है। **अभिलेख संलग्न है।**

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन किया गया है।

वनमंडलाधिकारी
वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर